भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II-Sector 3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708 नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2010/पौष 7, 1932
No. 708 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2010/PAUSHA 7, 1932

IndiaCode

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 24 दिसंबर, 2010

सा.का. नि. 1021 (अ)- राष्ट्रीय स्व-परायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु- निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एततद्वारा स्व-परायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु- निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का नाम स्व-परायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु- निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2010 है।

 (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. स्व-परायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम , 2000 के नियम 15 में , उप-नियम (3) हटा दिया जाए ।

[फा.सं. 1-22/2009-डी . डी. –IV]
श्रीमती पूर्णिमा सिंह, संयुकत सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का. नि. 639 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तद्पश्चात सा.का. नि. 201 (अ), तारीख 8 मार्च, 2002 और सा.का. नि. 478 (आ), तारीख 15, जुलाई, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINSTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th December, 2010

G.S.R. 1021 (E),- In exercise of the powers conferred by section 34 of the National Trust for Welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Trust for Welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Rules, 2010.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, in rule 15 sub-rule (3) shall be omitted.

[F. No. 1-22/2009-DD-IV]
SMT. PURNIMA SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 639 (F), dated the 26th July, 2000 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R.201 (E), dated the 8th March 2002 and G.S.R. 478 (E), dated the 15th July, 2005.

अधिसूचना
नई दिल्ली , 24 दिसंबर, 2010

सा.का. नि. 1022 (अ)- राष्ट्रीय स्व-परायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु- निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 35 की उप- धारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बोर्ड एततद्वारा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यास बोर्ड विनयम, 2001 में संशोधन कने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है । अर्थात :-

1. (1) इन विनियमों को न्यास बोर्ड (संशोधन) विनियम 2010 कहा जाएगा।

 (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. न्यास बोर्ड विनियम , 2001 में, विनियम में, उप-विनियम 16 के पश्चात निम्नलिखित उप- विनियम शामिल किया जाए अर्थात:

 "(16 क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदावधि – जब तक केंद्र दरकार द्वारा अन्यथा निदेश दिए जाएं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदावधि उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमे से जो भी पहले हो, होगी।"

[फा.सं. 1-22/2009-डी . डी. –IV]
श्रीमती पूर्णिमा सिंह, संयुकत सचिव

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 579 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और तद्न्तर16 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 123 (अ) और दिनांक 27 जून, 2006 जे सा.का. नि. 403 (अ) के तहत इनमें संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION
New Delhi, the 24th December, 2010

G.S.R. 1022 (E). – In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 35 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) , the Board with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Board of the Trust Regulation, 2001, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Board of the Trust (Amendment) Regulations , 2010.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of the trust Regulations, 2001, in regulation 3, after sub-regulation (16) the following sub-regulation shall be inserted namely:-

 "(16 A) Term of office of the Chief Executive Officer. Unless otherwise directed by the Central Government, the term of the office of the Chief Executive Officer shall be for a period of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier."

[F. No. 1-22/2009-DD-IV]
SMT. PURNIMA SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 579 (E), dated the 3rd August, 2001 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R 123 (E), dated the 16th February, 2004 and G.S.R. 403 (E), dated the 27th June, 2006

Indiacode.nic.in